बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं09/सा0आ0–173/2003/स्वा0/पटना,.......... दिनांक /डा0 अरूण कुमार झा, तत्काली चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहुआरा (चॉद), मोहनिया, कैमूर पुनः चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रहिका (मधुबनी) संप्रति स्वर्गीय को विभागीय अधिसूचना सं0 1214(9) दिनांक 02.12.2004 द्वारा दिए गए दण्डादेश को सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 2984/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 23.08.2011 के आलोक में अधिसूचना सं0 287(9) दिनांक 17.2.2012 द्वारा निरस्त किया गया तथा उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0 18(9) दिनांक 4.1.2013 द्वारा नए सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। दिनांक 4.6.2014 के डा0 अरूण कुमार झा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने की सूचना देते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा साक्ष्यों के परीक्षण एवं जॉच में असमर्थता जताते हुए अधिगम समर्पित किया गया है।

अतएव डा0 अरूण कुमार झा, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहुआरा (चॉद) मोहनियॉ, कैमूर संप्रति चिकित्सा पदाधिकारी , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रहिका, मधुबनी को संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम एवं उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 11 के प्रावधानों के तहत उनके विरूद्ध लगाए गए आरोपों से मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः 213 (9) /स्वा0, पटना , दिनांक 16/3/2015

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय उप–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल पटना/दरभंगा प्रमण्डल दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– श्री रविंद्र भारती पिता–डा0 अरूण कुमार झा, तत्काली चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहुआरा (चॉद), मोहनिया, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। स्थाई पता–ग्रा0 पो0, तितरा आशानंद, थाना–सकड़ा, मुजफ्फरपुर।

प्रतिलिपिः– सिविल सर्जन कैमूर/मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्य मंत्री (स्वास्थ्य) के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रशाखा 2,3,5,7,8,9,10 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

16.3.15

सरकार के अवर सचिव,

Sweta/Health/Notification- 14-05-12